पत्रांक- MP/DO-62/2026

दिनांक- 28/10/2026

वैलिड एवं वैधानिक सदस्यता पत्र

श्री प्रदीप कुमार,

मानवता परिवार आईडी MP004960, सदस्य श्री प्रदीप कुमार, निवासी—अकबरपुर मिर्जापुर करमोन, फतेहपुर, उत्तर प्रदेश, का क्रिटिकल एक्सीडेंट (गंभीर एक्सीडेंट) संबंधी आवेदन दिनांक 30/09/2026 को प्राप्त हुआ है।

सदस्य का मानवता परिवार में रजिस्ट्रेशन दिनांक 18/03/2026 है घटना होने तक 177 दिन पहले मानवता परिवार में जुड़े रहें। तथा आवेदन में गंभीर एक्सीडेंट होने की तिथि 11/09/2026 अंकित की गई है। गंभीर एक्सीडेंट के इलाज हेतु श्री रामसनेही मेमोरियल हॉस्पिटल, जीटी रोड, फतेहपुर में 11 सितंबर 2026 से 16 सितंबर 2026 तक भर्ती रहे।

मानवता परिवार की नियमावली के भाग संख्या "Q" (गंभीर बीमारी/गंभीर एक्सीडेंट संबंधी नियमावली) के अनुसार— नियम-1: गंभीर एक्सीडेंट में अंग-भंग, गंभीर विकृति, शरीर के अंगों की क्षति, अभिघातजन्य मस्तिष्क चोट, रीढ़ की हड्डी में चोट, स्थायी विकलांगता, कुचले हुए अंग का विच्छेदन, एक्सीडेंट के कारण ब्रेन सर्जरी, न्यूरोसर्जरी, स्पाइनल कॉर्ड सर्जरी, कोमा की स्थिति तथा एक्सीडेंट से संपूर्ण पैरालाइज की स्थिति को शामिल किया गया है। नियम-3: गंभीर बीमारी हेतु 1 वर्ष का लॉकिंग पीरियड तथा गंभीर एक्सीडेंट हेतु 3 माह का लॉकिंग पीरियड निर्धारित है। गंभीर बीमारी की स्थिति में रजिस्ट्रेशन दिनांक से 1 वर्ष पूर्ण होने के उपरांत उत्पन्न होने वाली गंभीर बीमारियों में ही सहयोग राशि प्रदान की जाती है। नियम-5: न्यूनतम ₹2 लाख खर्च आने पर ही गंभीर बीमारी एवं गंभीर एक्सीडेंट की श्रेणी का माना जाएगा। नियम-12: गंभीर बीमारी एवं गंभीर एक्सीडेंट में यदि बिल से अधिक धनराशि सदस्य के खाते में पहुँच जाती है, तो उसे अतिरिक्त धनराशि संस्था मानवता परिवार फाउंडेशन के खाते में स्थानांतरित करनी होगी, जिसका प्रयोग सदस्यों के सामान्य एक्सीडेंट में किया जाएगा, क्योंकि वह सभी सदस्यों का पैसा होगा। सदस्य द्वारा प्रस्तुत आवेदन के साथ संलग्न चिकित्सकीय अभिलेखों, डॉक्टर के परामर्श पत्रों एवं अस्पताल के दस्तावेजों के परीक्षण से यह तथ्य प्रकाश में आया है कि प्रथम बार चिकित्सकीय परामर्श की तिथि 11/09/2026 तथा प्रथम बार अस्पताल में भर्ती होने की तिथि भी 11/09/2026 अंकित है। श्री प्रदीप कुमार जी द्वारा संस्था में जुड़ने एवं गंभीर एक्सीडेंट होने के बीच संस्था द्वारा निर्धारित 3 सहयोगों में से तीनों सहयोग पूरे कर रखे हैं।

समस्त अभिलेखों की जांच के उपरांत गंभीर एक्सीडेंट के इलाज हेतु 90 दिन का लॉकिंग पीरियड एवं 100% का सहयोग पूर्ण किया जाना अभिलेखों में सत्यापित पाया गया है।

अत: श्री प्रदीप कुमार मानवता परिवार के वैधानिक एवं वैलिड सदस्य हैं गंभीर एक्सीडेंट के सहयोग की प्रक्रिया के लिए मानवता परिवार की टीम की तरफ से आश्वस्त किया जाता है कि दिनांक 25/01/2027 से प्रारंभ कर दी जाएगी।

प्रदेश प्रभारी -मानवता परिवार
विनोद कुमार चक्रवर्ती